न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 117/2024
ऑनलाईन नम्बर 2024/246

निर्णय दिनांकः 22.10.2024

1. दलीपसिंह पुत्र रघुवीरसिंह 2. प्रेमकंवर पत्नी रघुवीरसिंह 3. विक्रमसिंह पुत्र रघुवीरसिंह 4.हड़मानसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ ।

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री बजरंग शर्मा अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र निम्नानुसार सादर प्रस्तुत कि प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी कृषिभूमि खेत खसरा नम्बर 458 क्षेत्रफल 6.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 459 क्षेत्रफल 0.7200 हैक्टेयर, क्षेत्रफल खसरा नम्बर 460 क्षेत्रफल 15.0300 हैक्टेयर कुल खसरा 03 कुल 22.2700 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है जिसका सीमाज्ञान दिनांक 22.05.2024 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़ के आदेशो की पालना में किया गया। प्रार्थीगण की भूमि के मौके पर सीमाबन्दी के अस्पष्ट निशान हैं जिसके कारण सीमाज्ञान अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी की जानी हैं जिससे प्रार्थीगण की भूमि की सीमाए राजस्व नक्शानुसार कायम की जा सकें। प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान करवानें बाद भी सीमा चिन्ह अस्पष्ट होने के कारण आज दिनांक तक सीमाज्ञान अनुसार सीमा कायम नही की है प्रार्थीगण सीमाज्ञान अनुसार अपने खेत की राजस्व रिकार्ड के मुताबिक सीमाए कायम करवाने का अधिकारी है। आगे बरसात का मौसम शुरू हो रहा हैं और बरसात के मौसम से पूर्व सीमाज्ञान अनुसार सीमा कायम की जानी अत्यन्त ही आवश्यक हैं ताकि प्रार्थीगण अपने खेतो की बाडबन्दी तारबन्दी कर काश्त कर सके। स्पष्ट सीमाबन्दी के अभाव में काश्त किया जाना एवं काश्त को सुरक्षित रखा जाना मुमकिन नही है इसलिए सीमाज्ञान अनुसार राजस्व नक्शा व रिकार्ड के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत रोही ग्राम केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ में हैं जो श्रीमान्जी के क्षेत्राधिकार में है। प्रार्थनापत्र श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार का हैं जो जानकारी के अन्दर मियाद पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर श्रीमान्जी सें निवेदन हैं कि प्रार्थी के नाम सें खातेदारी खेत खसरा नम्बर 458 क्षेत्रफल 6.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 459 क्षेत्रफल 0.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 460 क्षेत्रफल 15.0300 हैक्टेयर कुल खसरा 03 कुल क्षेत्रफल 22.2700 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ का सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढ़ी करने का आदेश जारी करने की कृपा करें ।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज [illegible] निवेदन किया गया उक्त खेत के रिकार्ड नक्शा एवं मौके पर कब्जा संबधि भिन्न [illegible] उक्त खातेदारी खेत की भूमि पर पश्चिमी दिशा से आबादी बढी हुई है [illegible] रकबे में मौके पर प्लाट के रूप में छोटे—छोटे भूखण्ड बनाये जा [illegible] आवास के रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.06 11:57:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

काम में लिया जा रहा है। मौके पर आंशिक रूप से प्लोटिग व पक्के घर बने होने के कारण बाधा को ध्यान में रखतें हुये पत्थरगढ़ी का निर्णय किया जाना उचित होगा।

हमनें उभयपक्षकारन की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी रोही ग्राम केऊ के खाता संख्या 196 में खसरा नंबर 458 तादादी 6.52 हैक्टेयर बारानी, खसर नंबर 459 में 0.72 है. गै.मु. सडक, खसरा नंबर 460 तादादी 15.03 हैक्टेयर (गै.मु. रास्ता–0.34, बारानी 14.69) कुल 22.27 हैक्टेयर के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण के उक्त खसरान भूमि का दिनांक 22.05.2024 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी खेत की भूमि पर पश्चिमी दिशा से आबादी बढी हुई है। खेत की पश्चिमी दिशा के रकबे में मौके पर प्लाट के रूप में छोटे–छोटे भूखण्ड बनाये जा कर उनमे पक्के घर बने होकर आवास के रूप में काम में लिया जा रहा है। मौके पर आंशिक रूप से प्लोटिग व पक्के घर बन होनें कें संबंध में पैरोकारराज ने अपने जवाब में अंकित किया गया है। जबकि दिनांक 22.05.2024 को करवायें गये सीमाज्ञान में उक्त के संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 458 तादादी 6.52 हैक्टेयर बारानी, खसर नंबर 459 में 0.72 है. गै.मु. सडक, खसरा नंबर 460 तादादी 15.03 हैक्टेयर (गै.मु. रास्ता–0.34, बारानी 14.69) तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी प्रार्थीगण की पृथक से दर्ज है। खसरा नंबर 458,459,460 के सीमाचिन्ह जो नक्शे में मौजदू है उनके आधार पर अथवा मौके के अनुसार प्रार्थी की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को 1000/–रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिश्नर प्रार्थी द्वारा वहन की जावेगी। विवाद की स्थिति में पुलिस जाब्ता लेकर सीमाज्ञान कर पत्थगढी करवाया जाना सुनिश्चित करावें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थीगण से जमा कर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 22.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.06 11:57:10 IST
Reason: SelfAttested